

बजट आय–व्ययक

2015–2016

एक नजर में



बजट एक नजर में 2015–2016

वर्ष 2015–2016 में राज्य की कुल आय 65012.94 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस आय में राजस्व आय 57956.46 करोड़ रुपये, लोक ऋण (शुद्ध) 6258.13 करोड़ रुपये, ऋण और अग्रिम 220.82 करोड़ रुपये, तथा लोक लेखा (शुद्ध) 500.00 करोड़ रुपये सम्मिलित है। बजट घाटा 77.53 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राज्य की आय की तुलना में कुल व्यय 65012.94 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें राजस्व व्यय 53729.82 करोड़ रुपये, पूँजी व्यय 11000.25 करोड़ रुपये, तथा ऋण और अग्रिम 282.87 करोड़ रुपये के व्यय सम्मिलित हैं। राज्य का बजट निम्नानुसार है:—

(करोड़ रूपयों में)

विवरण	आय	व्यय
1	2	3
1— राजस्व	57956.46	53729.82
2— पूँजी	0.00	11000.25
3— लोक ऋण (शुद्ध)	6258.13	0.00
4— ऋण और अग्रिम	220.82	282.87
5— लोक लेखा (शुद्ध)	500.00	0.00
6— बजट घाटा	77.53	0.00
योग	65012.94	65012.94

बजट एक नजर में 2015-2016 (प्रतिशत में)



राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व लेखे पर व्यय, 2015–2016


अनुमान है कि वर्ष 2015–2016 में छत्तीसगढ़ को राजस्व प्राप्तियाँ 57956.46 करोड़ रुपये और राजस्व लेखे पर व्यय 53729.82 करोड़ रुपये होगा। इस प्रकार, राज्य का आय–व्ययक 4226.64 करोड़ रुपयों का राजस्व शेष दर्शाता है।

पार्श्व पृष्ठ पर दिये गये चित्रलेख में राज्य के वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के प्रमुख राजस्व स्रोत तथा व्यय के प्रस्तावित शीर्ष दिखलाये गये हैं। राज्य के प्रमुख कर हैं, बिक्री, व्यापार आदि पर कर तथा राज्य उत्पाद शुल्क है, जिनका सम्मिलित रूप से राज्य के कुल राजस्व में लगभग 25.06 प्रतिशत का योगदान है। कर–भिन्न राजस्व के राज्यीय स्रोतों में प्रमुख हैं – अलौह धातु खनन, धातुकर्म उद्योग तथा अन्य समस्त उद्योग एवं सिंचाई (वृहद, मध्यम तथा लघु)। इनसे राज्य के कुल राजस्व का क्रमशः 12.10 तथा 1.16 प्रतिशत भाग प्राप्त होगा। केन्द्रीय शासन से प्राप्त सहायक अनुदान कुल राजस्व का 22.42 प्रतिशत है। व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शीर्ष शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति तथा कृषि और सम्बद्ध क्रिया कलाप (ग्रामीण विकास सहित) है। इस पर वर्ष 2015–2016 में प्रस्तावित राजस्व व्यय का क्रमशः 22.37 प्रतिशत तथा 29.72 प्रतिशत खर्च किया जायेगा। सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण एवं पोषाहार, आवास और शहरी विकास तथा चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को भी काफी महत्व दिया गया है। वर्ष 2015–2016 में इन मदों पर क्रमशः 4.90 प्रतिशत, 3.01 प्रतिशत तथा 5.46 प्रतिशत राशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। सामने वाले पृष्ठ पर राजस्व लेखे के आय–व्ययक के प्रमुख घटक दर्शाये गये हैं।

छत्तीसगढ़ आय-व्ययक

प्राप्तियाँ

व्यय



राजस्व लेखे पर आधिक्य या घाटा

निम्न तालिका में छत्तीसगढ़ के वर्ष 2015-2016 के राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व लेखे पर व्यय के प्रमुख मदों को दर्शाया गया है :-


(करोड़ रूपयों में)

शीर्ष	2013-2014 (लेखा)	2014-2015 (पु.अ.)	2015-2016 (आ.अ.)
1	2	3	4
राजस्व प्राप्तियाँ :-			
1. करों एवं शुल्कों से राजस्व	22222.93 (69.34)	27593.66 (56.27)	36299.21 (62.63)
2. कर-भिन्न राजस्व	5101.17 (15.92)	6318.98 (12.88)	8662.99 (14.95)
3. केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान	4726.16 (14.74)	15128.81 (30.85)	12994.26 (22.42)
योग	32050.26 (100.00)	49041.45 (100.00)	57956.46 (100.00)
राजस्व व्यय :-			
1. आयोजनेत्तर	19245.75 (58.57)	19719.47 (42.26)	25499.65 (47.46)
2. आयोजना	13613.82 (41.43)	26945.96 (57.74)	28230.17 (52.54)
योग	32859.57 (100.00)	46665.43 (100.00)	53729.82 (100.00)
आधिक्य (+) या घाटा (-)	(-) 809.31	2376.02	4226.64

टीप:- कोष्ठक में दिये गये अंक कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं कुल राजस्व व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।


राजस्व लेखे पर प्राप्तियाँ तथा व्यय प्राप्तियाँ

(करोड़ रु. में)



व्यय

(करोड़ रु. में)



करों और शुल्कों से प्रमुख शीर्षवार राजस्व


वर्ष 2015-2016 की कुल 57956.46 करोड़ रूपयों की राजस्व प्राप्तियों में से 36299.21 करोड़ रूपये कर राजस्व द्वारा प्राप्त होना अनुमानित है, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 62.63 प्रतिशत है। निम्न तालिका में कर राजस्व के प्रमुख शीर्षों का योगदान दर्शाया गया है :-

(करोड़ रूपयों में)

कर राजस्व के प्रमुख शीर्ष	2013-2014 (लेखा)	2014-2015 (पु.अ.)	2015-2016 (आ.अ.)
1	2	3	4
आय और व्यय पर कर	4402.87	5316.10	9333.62
1. निगम कर	2650.20	3200.09	5365.26
2. निगम कर से भिन्न आय पर कर	1745.08	2109.26	3961.11
3. होटल प्राप्ति कर	5.26	5.50	6.00
4. आय और व्यय पर अन्य कर	2.33	1.25	1.25
सम्पत्ति और पूँजीगत लेनदेनों पर कर	1223.58	1717.42	1846.64
1. भू-राजस्व	226.06	460.00	496.80
2. स्टाम्प और पंजीकरण	990.24	1250.00	1350.00
3. धन पर कर	7.28	7.42	(-) 0.16
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	16596.48	20560.14	25118.95
1. सीमा शुल्क	1285.73	1484.28	2490.33
2. संघ उत्पाद शुल्क	908.08	982.36	1619.62
3. राज्य उत्पाद शुल्क	2549.14	3150.00	3528.00
4. बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	7929.50	9800.00	10998.00
5. वाहनों पर कर	651.07	800.00	864.00
6. माल एवं यात्रियों पर कर	945.44	1335.00	1441.80
7. बिजली पर कर और शुल्क	1020.44	1300.00	1400.00
8. सेवा कर	1283.85	1683.50	2777.21
9. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	23.23	25.00	(-) 0.01
योग	22222.93	27593.66	36299.21

करों और शुल्कों से प्रमुख शीर्षवार राजस्व

(करोड़ रु. में)




स्रोतवार कर—भिन्न राजस्व

निम्न तालिका में कर—भिन्न राजस्व के स्रोत दर्शाये गये हैं :-

(करोड़ रूपयों में)

कर—भिन्न राजस्व के स्रोत	2013—2014 (लेखा)	2014—2015 (पु.अ.)	2015—2016 (आ.अ.)
1	2	3	4
राजकोषीय सेवायें	0.02	—	—
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	395.12	331.14	263.67
1. ब्याज प्राप्तियाँ	380.91	328.14	260.67
2. लाभांश और लाभ	14.21	3.00	3.00
सामान्य सेवायें	93.22	104.61	112.85
1. पुलिस और जेलें	19.32	31.14	33.22
2. लोक निर्माण	21.21	18.93	21.77
3. अन्य	52.69	54.54	57.86
सामाजिक सेवायें	122.68	49.39	50.31
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6.78	2.99	5.65
2. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलपूर्ति और सफाई	29.11	20.01	21.08
3. आवास और नगर विकास	3.22	8.78	9.30
4. श्रम और रोजगार	15.32	7.04	7.44
5. अन्य	68.25	10.57	6.84
आर्थिक सेवायें	4490.13	5833.84	8236.16
1. कृषि कार्य, पशुपालन, डेयरी विकास, सहकारिता और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	38.07	40.83	42.94
2. वानिकी और वन्य जीवन	405.90	520.00	500.00
3. अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग तथा अन्य समस्त उद्योग	3277.88	4312.01	7012.20
4. सिंचाई (वृहद, मध्यम तथा लघु)	756.45	951.00	670.00
5. अन्य	11.83	10.00	11.02
योग	5101.17	6318.98	8662.99

स्रोतवार कर भिन्न राजस्व




केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान

केन्द्रीय सरकार से राज्य को प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान वर्ष 2015-2016 के कुल राजस्व प्राप्तियों का 22.42 प्रतिशत होंगे। निम्न तालिका में इन अनुदानों का विवरण दर्शाया गया है :-

(करोड़ रूपयों में)


केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान	2013-2014 (लेखा)	2014-2015 (पु.अ.)	2015-2016 (आ.अ.)
1	2	3	4
1. राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये	2121.47	4230.54	1499.91
2. केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये	1499.45	7742.31	8497.10
3. केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिये	43.34	1237.81	1248.73
4. आयोजना भिन्न अनुदान	1061.90	1918.15	1748.52
योग	4726.16	15128.81	12994.26

केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान (प्रतिशत में)




2013-2014 (लेखा)

■ राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये	■ केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये
■ केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिये	■ आयोजना भिन्न अनुदान



2014-2015 (पु.अ.)



2015-2016 (आ.अ.)

राजस्व लेखे पर प्रमुख शीर्षवार व्यय (सामान्य सेवायें)


निम्न तालिका में राजस्व लेखे पर होने वाला व्यय, प्रमुख शीर्षों के अनुसार दर्शाया गया है :-

(करोड़ रूपयों में)

व्यय के शीर्ष	2013-2014 (लेखा)	2014-2015 (पु.अ.)	2015-2016 (आ.अ.)
1	2	3	4
क- सामान्य सेवायें			
1. राज्य के अंग	293.42	484.21	378.29
अ. राज्य विधान मंडल, राज्यपाल, मंत्री-परिषद् और निर्वाचन	143.07	216.53	131.92
आ. न्याय प्रशासन	150.35	267.68	246.37
2. राजकोषीय सेवायें	647.33	798.74	958.36
अ. आय और व्यय पर करों का संग्रह	—	—	—
आ. सम्पत्ति और पूँजीगत लेन-देनों पर संग्रह	406.20	419.80	554.75
इ. वस्तुओं और सेवाओं पर करों की वसूली	240.46	377.77	402.37
ई. अन्य राजकोषीय सेवायें	0.67	1.17	1.24
3. ब्याज संग्रह और ऋण परिशोधन व्यय	1450.53	1964.77	2281.30
अ. ऋण में कमी अथवा उससे बचाव के लिए विनियोग	100.00	100.00	200.00
आ. ब्याज संदाय	1350.53	1864.77	2081.30
4. प्रशासनिक सेवायें	2707.83	3015.84	3221.77
अ. सचिवालय-सामान्य सेवायें, जिला प्रशासन तथा राजकोष और लेखा प्रशासन	286.41	385.41	395.15
आ. पुलिस और जेलें	2043.27	2344.52	2505.82
इ. लेखन सामग्री और मुद्रण	8.34	11.09	12.21
ई. लोक निर्माण	246.79	112.88	133.87
उ. अन्य प्रशासनिक सेवायें	123.02	161.94	174.72
5. पेंशन और विविध सामान्य सेवायें	2752.04	2529.40	3780.98
योग - क	7851.15	8792.96	10620.70

क्रमशः

राजस्व लेखे पर प्रमुख शीर्षवार व्यय (सामान्य सेवायें)





राजस्व लेखे पर प्रमुख शीर्षवार व्यय (सामाजिक सेवायें)

(करोड़ रूपयों में)

व्यय के शीर्ष	2013-2014 (लेखा)	2014-2015 (पु.अ.)	2015-2016 (आ.अ.)
1	2	3	4
ख- सामाजिक सेवायें			
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6845.46	10985.12	12021.03
2. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1428.57	2633.16	2933.18
3. जलपूर्ति और सफाई	397.16	710.29	928.54
4. आवास और शहरी विकास	1037.55	1513.64	1618.47
5. श्रम और रोजगार	140.78	283.87	537.19
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	714.83	258.74	243.20
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं पोषाहार	3371.43	2164.83	2634.60
8. दैवी विपत्तियों आपदाओं के सम्बन्ध में राहत	262.15	213.73	270.80
9. सूचना और प्रसारण	69.49	72.27	74.47
10. अन्य	14.68	21.56	24.14
योग - ख	14282.10	18857.21	21285.62

क्रमशः

राजस्व लेखे पर प्रमुख शीर्षवार व्यय (सामाजिक सेवायें)





राजस्व लेखे पर प्रमुख शीर्षवार व्यय (आर्थिक सेवायें)


(करोड़ रूपयों में)

व्यय के शीर्ष	2013-2014 (लेखा)	2014-2015 (पु.अ.)	2015-2016 (आ.अ.)
1	2	3	4
ग- आर्थिक सेवायें			
1. कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप	5152.15	9375.94	11489.17
अ. कृषि कार्य, पशुपालन, सहकारिता, भू-और जल संरक्षण तथा डेयरी विकास	4070.87	8129.68	10118.90
आ. वानिकी और वन्य जीवन	983.45	1118.24	1215.06
इ. अन्य	97.83	128.02	155.21
2. ग्रामीण विकास	2090.00	5375.27	4481.43
3. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	416.33	333.71	369.52
अ. वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई	411.18	327.55	362.89
आ. कमान क्षेत्र विकास एवं बाढ़ नियंत्रण	5.15	6.16	6.63
4. उर्जा	495.46	979.36	2126.64
5. उद्योग और खनिज	467.47	676.38	806.22
अ. उद्योग (ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग सहित)	182.05	224.61	300.19
आ. अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	285.42	451.77	506.03
6. परिवहन	988.98	1020.17	1264.38
अ. सड़कें और पुल	988.98	1020.14	1264.35
आ. अन्य	0.00	0.03	0.03
7. संचार	46.01	143.95	84.73
8. विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	11.14	13.13	15.25
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं	88.39	118.71	118.38
योग-ग	9755.93	18036.62	20755.72
घ- सहायक अनुदान और अंशदान, आदि	970.39	978.64	1067.78
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति समनुदेशन	970.39	978.64	1067.78
योग - क+ख+ग+घ	32859.57	46665.43	53729.82

राजस्व लेखे पर प्रमुख शीर्षवार व्यय (आर्थिक सेवायें)



योग (प्रतिशत में)



प्रमुख शीर्षवार पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत राजस्व लेखे के बाहर होने वाला व्यय आता है, जिसकी पूर्ति प्रायः उधार ली गई राशि से की जाती है। निम्न तालिका में पूँजीगत व्यय के महत्वपूर्ण शीर्ष दर्शाये गये हैं :-


(करोड़ रूपयों में)

व्यय के शीर्ष	2013-2014 (लेखा)	2014-2015 (पु.अ.)	2015-2016 (आ.अ.)
1	2	3	4
क-सामान्य सेवायें	182.42	306.34	346.24
1.लोक निर्माण	146.33	267.12	309.49
2.अन्य	36.09	39.22	36.75
ख-सामाजिक सेवायें	691.96	1942.36	2484.61
1.शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	253.34	467.21	716.93
2.स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	126.99	258.37	303.55
3.जलपूर्ति और सफाई	3.97	55.26	174.54
4.आवास और नगर विकास	80.99	632.92	856.31
5.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	81.92	309.19	296.77
6.सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं पोषाहार	106.27	146.49	52.60
7.सूचना और प्रसारण	0.00	0.02	0.02
8.अन्य	38.48	72.90	83.89
ग-आर्थिक सेवायें	3699.81	5669.94	8169.40
1.कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप	88.90	81.65	166.25
2.ग्रामीण विकास	90.71	415.10	897.25
3.सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1684.34	1766.76	2264.36
4.उर्जा	22.00	65.00	130.00
5.उद्योग और खनिज	8.11	38.05	102.45
6.परिवहन	1801.35	3279.48	4583.30
7. विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	0.00	5.90	9.79
8. सामान्य आर्थिक सेवायें	4.40	18.00	16.00
योग - क+ख+ग	4574.19	7918.64	11000.25

प्रमुख शीर्षवार पूँजीगत व्यय

■ आर्थिक सेवायें ■ सामाजिक सेवायें ■ सामान्य सेवायें

(करोड़ रु.में)



राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

पूँजीगत व्यय के साथ ही, जिसका उल्लेख किया जा चुका है, राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार कृषकों, स्थानीय निकायों, औद्योगिक संस्थाओं, शासकीय कर्मचारियों व गैर शासकीय पक्षों को ऋण तथा अग्रिम राशि दिया करती है। वर्ष 2015-2016 के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले ऋण तथा अग्रिम की स्थिति को निम्न तालिका दर्शाती है :-


(करोड़ रूपयों में)

राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	2013-2014 (लेखा)	2014-2015 (पु.अ.)	2015-2016 (आ.अ.)
1	2	3	4
संवितरण :			
आयोजनेत्तर	14.88	18.95	1.45
आयोजना	1308.95	431.41	281.42
योग	1323.83	450.36	282.87
प्राप्तियाँ	1642.41	225.01	220.82
शुद्ध ऋण तथा अग्रिम	318.58	(-) 225.35	(-) 62.05

राज्य सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण व अग्रिम की राशि का वर्ष 2013-2014 (लेखा) में 98.88 प्रतिशत, 2014-2015 (पु.अ.) में 95.79 तथा 2015-2016 (आ.अ.) में 99.49 प्रतिशत आयोजना कार्यों के लिये है।

राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

(करोड़ रु. में)



आयोजना व्यय


आयोजना व्यय मूलतः राष्ट्र-निर्माण एवं समाज सेवाओं से सम्बन्धित है। उत्पादन क्षेत्र एवं समाज सेवा क्षेत्र पर किये गये व्यय इसके प्रमुख घटक हैं, जिसका जनता की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 तक के लिए राज्य का आयोजना व्यय निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपयों में)

आयोजना व्यय	2013-2014 (लेखा)	2014-2015 (पु.अ.)	2015-2016 (आ.अ.)
1	2	3	4
राजस्व लेखा	13613.82	26945.96	28230.17
पूँजीगत लेखा	4574.93	7906.32	10987.93
राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	1308.95	431.41	281.42
योग	19497.70	35283.69	39499.52

उपरोक्त तालिका में योजना व्यय का वह अंश ही दर्शाया गया है, जो राज्य के बजट में सम्मिलित है।

आयोजना व्यय (प्रतिशत में)




2013-2014(लेखा)


■ राजस्व लेखा

■ पूँजीगत लेखा

■ राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम



2014-2015(पु.अ.)



2015-2016(आ.अ.)

नया व्यय

वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक में सम्मिलित किये गये नये व्यय के मद निम्न प्रकार हैं :-


(करोड़ रूपयों में)

व्यय के मद	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
1	2	3	4
राजस्व लेखा	376.55	3173.73	3550.28
पूँजीगत लेखा	0.00	1429.64	1429.64
योग	376.55	4603.37	4979.92


वर्ष 2015-2016 में राज्य सरकार के कुल व्यय 65012.94 करोड़ रूपयों में नया व्यय 4979.92 करोड़ रूपया है, जो कुल व्यय का 7.66 प्रतिशत है। नया व्यय में 92.44 प्रतिशत आयोजना तथा 7.56 प्रतिशत आयोजनेत्तर मद के लिये निर्धारित है।

नया व्यय 2015-2016 (आ.अ.)

(करोड़ रु. में)



(प्रतिशत में)



लोक ऋण

राज्य सरकार के लिए ऋण का प्रमुख साधन केन्द्रीय सरकार है। केन्द्रीय सरकार द्वारा ये ऋण, योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले भारी पूँजीगत व्यय की पूर्ति हेतु दिये जाते हैं। योजना के कारण बढ़ते हुए व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार को खुले बाजार से भी ऋण प्राप्त करना पड़ता है। प्राप्तियाँ एवं व्यय की कमी के संतुलन हेतु यदा-कदा शासन को अल्पकालीन ऋणों का प्रसार तथा सरकारी हुंडियाँ भी जारी करना आवश्यक होता है। निम्नांकित तालिका में वर्ष 2013-2014, 2014-2015 तथा 2015-2016 के लोक ऋण की विस्तृत जानकारी दी गई है :-


(करोड़ रूपयों में)

शीर्ष	लिये गये ऋण	चुकाये गये ऋण	शुद्ध लोक ऋण (+) या (-)
1	2	3	4
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
2013-2014 (लेखा)	3917.30	540.56	3376.74
2014-2015 (पु.अ.)	6395.00	1078.18	5316.82
2015-2016 (आ.अ.)	7295.00	927.32	6367.68
केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम			
2013-2014 (लेखा)	14.59	149.09	(-) 134.50
2014-2015 (पु.अ.)	46.00	151.84	(-) 105.84
2015-2016 (आ.अ.)	46.00	155.55	(-) 109.55
कुल लोक ऋण			
2013-2014 (लेखा)	3931.89	689.65	3242.24
2014-2015 (पु.अ.)	6441.00	1230.02	5210.98
2015-2016 (आ.अ.)	7341.00	1082.87	6258.13

लोक ऋण 2015-2016 (आ.अ.)


■ केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम
■ राज्य सरकार का आंतरिक ऋण

(करोड़ रु. में)



(प्रतिशत में)

■ चुकाये गये ऋण ■ लोक ऋण (शुद्ध)



लोक लेखा


लोक लेखा में वर्ष 2013-2014 (लेखा) के 3535.44 करोड़ रूपयों तथा वर्ष 2014-2015 (पु.अ.) के 500.00 करोड़ रूपयों की तुलना में वर्ष 2015-2016 (आ.अ.) में निधि निक्षेप व प्रेषण लेन-देन द्वारा 500.00 करोड़ रूपयों की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित की गई हैं। इन शुद्ध प्राप्तियों के घटक अंश संक्षेप में नीचे दर्शाये गये हैं :-

(करोड़ रूपयों में)

निधि निक्षेप व प्रेषण लेन देन (शुद्ध प्राप्तियाँ)	2013-2014 (लेखा)	2014-2015 (पु.अ.)	2015-2016 (आ.अ.)
1	2	3	4
1. भविष्य निधियाँ, आदि	265.40	350.00	350.00
2. आरक्षित निधियाँ	305.16	137.49	137.49
3. जमा तथा अग्रिम	1818.98	31.01	31.01
4. उचन्त और विविध	789.16	(-) 18.50	(-) 18.50
5. प्रेषण	356.74	0.00	0.00
योग	3535.44	500.00	500.00

लोक लेखा (शुद्ध प्राप्तियाँ)

(करोड़ रु. में)



शुद्ध लेन-देन के परिणाम


वर्ष 2015-2016 (-) 103.70 करोड़ रूपयों की राशि से प्रारम्भ होगा। राजस्व लेखे के लेन-देन से (-) 77.53 करोड़ रूपयों का राजस्व शेष होने की संभावना है। यह वर्ष (-) 181.23 करोड़ रूपयों की राशि से समाप्त होगा। निम्न तालिका में राज्य सरकार की शुद्ध वित्तीय स्थिति दर्शायी गई है :-

(करोड़ रूपयों में)

शुद्ध लेन-देन	2013-2014 (लेखा)	2014-2015 (पु.अ.)	2015-2016 (आ.अ.)
1	2	3	4
क. प्रारम्भिक शेष	(-) 1767.11	(-) 46.71	(-) 103.70
ख. संचित निधि :			
1. राजस्व प्राप्तियाँ	(+ 32050.26	(+ 49041.45	(+ 57956.46
2. राजस्व लेखे पर व्यय	(-) 32859.57	(-) 46665.43	(-) 53729.82
3. पूँजीगत प्राप्तियाँ	(+ 7.64	0.00	0.00
4. पूँजीगत व्यय	(-) 4574.19	(-) 7918.64	(-) 11000.25
5. लोक ऋण (शुद्ध)	(+ 3242.24	(+ 5210.98	(+ 6258.13
6. राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम (शुद्ध)	(+ 318.58	(-) 225.35	(-) 62.05
7. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	0.00	0.00	0.00
शुद्ध संचित-निधि	(-) 1815.04	(-) 556.99	(-) 577.53
ग. आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00
घ. लोक लेखा (शुद्ध)	(+ 3535.44	(+ 500.00	(+ 500.00
वर्ष के शुद्ध लेन-देन	(+ 1720.40	(-) 56.99	(-) 77.53
ड. अंतिम शेष	(-) 46.71	(-) 103.70	(-) 181.23

अर्थोपाय स्थिति – एक दृष्टि में

2015–2016 (आ.अ.)




शासकीय प्रतिभूतियों में वित्तीय विनियोजन

म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 42 के तहत अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य की आरक्षित निधियाँ जिनका विनिधान सरकारी लेखे से बाहर किया गया है, का प्रावधिक प्रभाजन किया गया है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के हिस्से की शासकीय प्रतिभूति (Securities) निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपयों में)

विवरण	राशि
1	2
शासकीय प्रतिभूतियाँ :	
1. अकाल राहत निधि विनिवेश लेखा	0.00
2. राजस्व आरक्षित निधि विनिवेश लेखा	0.47
3. कृषि हेतु विकास निधि से विनिवेश लेखा	0.00
4. अन्य निधि विनिवेश लेखा	0.00
5. रोकड़ शेष विनिवेश लेखा	0.00
योग (अ)	0.47
1. संचित शोधन निधि (दिनांक 31-12-2014 की स्थिति में राज्य शासन द्वारा निधि में निवेशित राशि)	1346.94
योग (ब)	1346.94
कुल योग (अ + ब)	1347.41

शासकीय प्रतिभूतियों में वित्तीय विनियोजन



शासकीय प्रत्याभूतियाँ

(अ) म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 52 (अ) तथा (ब) के तहत जिन प्रत्याभूतियों का प्रावधिक प्रभाजन किया गया है, उसके अनुसार राज्य शासन के हिस्से की प्रत्याभूति की अदेयता दिसम्बर, 2014 की स्थिति में निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपयों में)

विवरण	राशि
1	2
1. नगर निगम, नगर पालिकाओं तथा विकास प्राधिकरणों के पक्ष में	0.90
2. छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (वित्त निगम प्रकोष्ठ)	22.69
3. छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनियां	*
4. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	*
5. छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ	0.00
योग (अ)	23.59


* पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप इस ऋण के विभाजन संबंधी अभिलेख उपलब्ध न होने से ऋण राशि के 31-12-2014 की स्थिति में शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ब) राज्य निर्माण के पश्चात् राज्य शासन द्वारा जिन संस्थाओं के पक्ष में प्रत्याभूति दी गई है, उनकी दिसम्बर, 2014 की स्थिति में अदेयता निम्नानुसार है :-


1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	0.74
2. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक	0.00
3. नगर निगम, नगर पालिकाओं तथा विकास प्राधिकरणों के पक्ष में	40.34
4. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अनु.जाति एवं वित्त विकास निगम	0.29
5. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	88.43
6. छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम	29.80
7. छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनियां	513.22
8. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ	0.00
योग (ब)	672.82
कुल योग (अ+ब)	696.41

शासकीय प्रत्याभूतियाँ

(करोड़ रु. में)



(करोड़ रु. में)



- छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम
- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अनु. जाति एवं वित्त विकास निगम
- छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम
- नगर निगम, नगर पालिकाओं तथा विकास प्राधिकरणों के पक्ष में
- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक
- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ
- छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनियां


राज्य योजना, 2015–2016 के अन्तर्गत परिव्यय

वर्ष 2015–2016 में राज्य योजना का कुल परिव्यय 29753.14 करोड़ रूपयों का है। निम्न तालिका में विकास के विविध शीर्षों पर योजना परिव्यय का विभाजन दर्शाया गया है :-

विकास के शीर्ष	प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रूपयों में)	प्रस्तावित परिव्यय (प्रतिशत में)
1	2	3
1. कृषि तथा सम्बद्ध सेवायें	6018.31	20.23
2. ग्रामीण विकास	1258.36	4.23
3. विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	211.32	0.71
4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2171.72	7.30
5. उर्जा	2256.10	7.58
6. उद्योग एवं खनिज	548.81	1.84
7. परिवहन	3920.04	13.18
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	587.56	1.98
9. सामाजिक सेवायें	12398.72	41.67
10. सामान्य आर्थिक सेवायें	158.62	0.53
11. सामान्य सेवायें	223.58	0.75
योग	29753.14	100.00

उक्त योजना परिव्यय में संस्थाओं द्वारा स्वयं के संसाधनों से तथा विभिन्न उपकर निधियों से व्यय की जाने वाली धनराशि सम्मिलित नहीं है।

राज्य योजना, 2015–2016 के अंतर्गत परिव्यय (प्रतिशत में)



कृषि तथा सम्बद्ध सेवायें	ग्रामीण विकास	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	उर्जा	उद्योग एवं खनिज
परिवहन	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	सामाजिक सेवायें
सामान्य आर्थिक सेवायें	सामान्य सेवायें	

राज्य योजना, 2015–2016 के लिए संसाधन


वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक अनुमानों में राज्य आयोजना पर व्यय के लिए 29753.14 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। राज्य योजना के लिए 1514.91 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मिलेगी। इन अनुमानों के अनुसार उपलब्ध होने वाले सम्भावित राज्य के संसाधनों की राशि 28160.70 करोड़ रुपये है, जिससे संसाधनों में (–) 77.53 करोड़ रुपये का ह्रास होगा। प्रारम्भिक शेष में (–) 103.70 करोड़ रुपये के घाटे के कारण आय–व्ययक (–) 181.23 करोड़ रुपये के घाटे से समाप्त होगा। राज्य के संसाधनों की राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

(करोड़ रूपयों में)

मद	राशि
1	2
1— राजस्व से शेष	21495.52
2— अल्प बचत में हिस्सा	250.00
3— बाजार से ऋण	5116.75
4— अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध)	340.00
5— विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	(–) 526.57
6— राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	1450.00
7— तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त अनुदान	25.00
8— राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार	10.00
योग	28160.70

राज्य योजना 2015–2016 के लिए संसाधन

(करोड़ रु. में)



- अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध)
- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त अनुदान
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार
- अल्प बचत में हिस्सा
- राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण
- विभिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ
- बाजार से ऋण
- राजस्व शेष

